न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R - 2876-I/14

देवेन्द्र वर्मा पुत्र श्री शम्भूदयाल वर्मा आयु 53 साल व्यवसाय कृषि निवासी वार्ड नम्बर- 15 हनुमान चौक, मेनरोड गंज बासौदा जिला विदिशा म.प्र.

--- --- आवेदक

बनाम

1- श्रीमती रमाबाई पत्नी श्री रामअवतार शर्मा निवासी कस्बा बासौदा जिला विदिशा म.प्र.

2- दुर्गाबाई पत्नी हरभजन सिंह

3- रामकुंवरबाई पत्नी कोमल सिंह निवासीगण मिर्जापुर तहसील गंज बासौदा जिला विदिशा

--- --- अनावेदकगण/ रिस्पोन्डेन्ट

दिनांक 2-9-14 को श्री आर.बी. शर्मा, अभि० द्वारा प्रस्तुत।

2-9-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 17-7-2014 न्यायालय तहसीलदार बासौदा जिला विदिशा रमाबाई बनाम दुर्गाबाई के प्रकरण क्रमांक 47-अ-74/2013-14 में पारित आदेश के विरुद्ध

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

(1) यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कार्यालय प्रभारी अधिकारी टोटल मशीन के पत्र क्रमांक 240/टी.एस.एम./14 दिनांक 4-6-2014 से प्रतिवेदन मय पंचनामा टी.एस.एम. सहित विचारण न्यायालय के समक्ष प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक रमाबाई जो कि रिस्पोन्डेन्ट क्रमांक 1 है के द्वारा स्थित भूमि कस्बा बासौदा आराजी नम्बर 706/5, 703/3 भूमि का अतुल श्रीवास्तव प्रभारी टी.सी.एम. एवं हल्का पटवारी के मौके पर जाकर कृषकों की उपस्थिति

(244)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2874-एक/14 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनुपम मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	